

27-2-18

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्त बंटी गुर्जर अनु०।

प्रकरण अभि० की उप० हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त की उप० हेतु जारी गिरफ्तारी वारंट तामील अथवा अदम तामील वापस प्राप्त नहीं। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उप० नहीं हुआ है।

प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट मविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए फरार हो गया है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द०प्र०सं० की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियोजन से पूछे जाने पर उन्होंने अन्य कोई साक्ष्य न करना व्यक्त किया।

अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त **बंटी पुत्र जहानसिंह गुर्जर निवासी अतरसोडा थाना चो जिला भिन्ड** को स्थायी गिरफ्तारी वारंट लाल स्याही से मय जमानतदार व हाल निवास पते का उल्लेख कर जारी किया जाये। साथ ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्ट्रार में कर प्रावती ली जाये।

आदेशिका तामील
करी - 27/2/18

Signature of
Parties or
Pleaders where

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Date of
Order or

